06/06/25

आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी के प्रा.पत्र पर पेशी में ली गई। आज पक्ष प्रा. प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। चिह्नित किये अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली ना. नंबर से कट हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/496

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.06 16:53:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 213/24 GCMS:- 2024/496 **दायर दिनांकः— 28—08—2024**

चड़सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति जटसखि साकिन 22 एल जी डब्ल्यू तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
———प्रार्थी

बनाम

1—शरबती देवी पत्नी श्री मनफूल जाति जाट साकिन ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
2—राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।
3—शाखा प्रबन्धक महोदय ओरियन्तट बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा सूरतगढ
4— शाखा प्रबन्धक महोदय राजस्थन मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा ढाबा झालार
————अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :—

1— श्री बृज मोहन शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2— पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी नं0 2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

—:— निर्णय —:—

दिनांकः— 06.06.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी का अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के खाता सं0 16/13 के प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 2—3/0.506 है0 , 4/1 में 0.101 हे0, 7/0.253 है0 , 8/0.253 है0 , 9/1 में 0.152 है0 , 12—13/0.506 है0 , 14/0.253 है0, 16/0.253 है0 , 17 ता 19/0.759 है0 , 22 ता 25/1.012 है0 कुल 4.048 है0 खातेदारी भूमि खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके तहसील सूरतगढ के चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के खाता सं0 76/59 के प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 1/0.253 है0 , प0न0 40/299 मु0न0 37 के किला न0 4/0.253 है0, 5/1 में 0.228 है0 , 5/2 में 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कुल 0.759 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता प0न0 40/299 के किला न0 5—6—15—26—25 से होते हुये अप्रार्थीया न0 1 के रकबा प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 1/0.025 है0 उतरी पासा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में चालू रास्ता से आवागमन करता है । उक्त रास्ता को प्रार्थी मन्जूर करवाना चाहता है । उक्त रास्ता के बदला में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 2 में उतरी पश्चिम कोना पर 16.5फुट गुणा 33 फुट रकबा को पूर्व से पश्चिम लम्बाई में छोड़कर 0.050 है0 भूमि अप्रार्थीया नं0 1 को देने के लिए तैयार है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है । इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के [illegible] नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई [illegible] अभिलेख निरिक्षक भगवानगढ एव पटवारी हल्का 15 एस जी आर द्वारा [illegible] नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नं0 1 स्वयं उपस्थित हुये ।

अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा जबाब प्रार्थना—पत्र एवं सहमति—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी के रकबा चक 23 एल जी डब्लयू बी के प0न0 39/299 के किला नं0 2 में पश्चिम पासा में 0.050 है0 रकबा दिया जाकर उक्त रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी नं0 1 को कोई उज्र व एतराज नही होगा । अप्रार्थी नं0 1 सहमत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.06 16:53:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इसके पश्चात प्रार्थी के अभिभाषक एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के खाता सं0 16/13 में कुल 4.048 है0 खातेदारी भूमि खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके तहसील सूरतगढ के चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के खाता सं0 76/59 में कुल 0.759 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता प0न0 40/299 के किला न0 5-6-15-26-25 से होते हुये अप्रार्थीया न0 1 के रकबा प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 1/0.025 है0 उतरी पासा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में चालू रास्ता से आवागमन करता है । उक्त रास्ता को प्रार्थी मन्जूर करवाना चाहता है । उक्त रास्ता के बदला में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 2 में उतरी पश्चिम कोना पर 16.5फुट गुणा 33 फुट रकबा को पूर्व से पश्चिम लम्बाई में छोड़कर 0.050 है0 भूमि अप्रार्थीया न0 1 को देने के लिए तैयार है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है । इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा जबाब प्रार्थना-पत्र एवं सहमति-पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थी के रकबा चक 23 एल जी डब्लयू बी के प0न0 39/299 के किला न0 2 में पश्चिम पासा में 0.050 है0 रकबा दिया जाकर उक्त रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी नं0 1 को कोई उज्र व एतराज नही होगा ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के खाता सं0 16/13 मे कुल 4.048 है0 खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके तहसील सूरतगढ के चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के खाता सं0 76/59 में कुल 0.759 है0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता प0न0 40/299 के किला न0 5-6-15-26-25 से होते हुये अप्रार्थीया न0 1 के रकबा प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 1/0.025 है0 उतरी पासा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में चालू रास्ता से आवागमन का एक मात्र माध्यम है । पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक भगवानगढ द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक रास्ता का अभाव है । प्रार्थी के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है । चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के प0 न0 39/299 मु0न0 38 के किला नं0 1/0.025 है0 उतरी पासा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी न0 1 के नाम खातेदार भूमि चक 23 एल जी डब्ल्यू बी के प0न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 1 में 0.253 है0 अ0क0बा0 में से 0.025 है0 उतरी पासा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में रास्ता मंजूर किया जाता है । यह 0.025 है0 भूमि अप्रार्थी नं0 1 के नाम से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है एवं इसके बदले प्रार्थी की इसी चक 23 एल जी डब्ल्यू बी की खातेदारी भूमि प0 न0 39/299 मु0न0 38 के किला न0 2 में 0.253 है0 अ0क0बा0 में से उतरी पश्चिमी कोना पर 16.5फुट गुणा 33फुट का रकबा छोड़कर इस किला के पश्चिम पासा में 0.050 है0 रकबा उतर से दक्षिण लम्बाई में प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थीया न0 1 के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.06.06 16:53:00 IST
Reason: Self Attested

(संदीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ